संख्या-21/2024/389/30-03-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-2235 में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 25.00 लाख की द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-62 सहायता/2024-टीकवर/16, दिनांक 09 फरवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-04- बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता- 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू 50.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(7) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227 /दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-04- बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता- 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 50.00 लाख से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-514-X-2023-24, दिनांक 05 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 21/2024/389(1)/30-3-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।